...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... What is this going on? ...(*Interruptions*)... This is Question Hour. ...(*Interruptions*)... Ambikaji, Seljaji, please sit down. ...(*Interruptions*)... Hon. Members who want to debate a subject not on the agenda are welcome to go outside and continue the debate. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** What is this going on? ...(*Interruptions*)... Nobody is listening to anyone. ...(*Interruptions*)... What is the purpose of this shouting? ...(*Interruptions*)... Question No. 151 ...(*Interruptions*)... Let the answer be given. ...(*Interruptions*)... Question No. 151 ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... The House is adjourned for ten minutes. ...(*Interruptions*)... I would request those who want to carry out a debate, which has nothing to do with Question Hour, can go out and carry out the debate.

The House then adjourned at two minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at eleven minutes past twelve of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उचित दर की दुकानों पर 'इलेक्ट्रोनिक प्वाइंवा ऑफ सेल' उपकरणों की व्यवस्था किया जाना

*151. **श्री हरिवंशः** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने ने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सभी उचित दर की दुकानों पर 'इलेक्ट्रोनिक प्वाइंट ऑफ सेल' उपकरणों की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी;

(ख) क्या केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उक्त उपकरण की व्यवस्था करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या सभी राशन कार्डों को 'आधार' से जोड़े जाने की कोई योजना है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के कारण प्रतिवर्ष कितनी धनराशि नष्ट हो जाती है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान)ः (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अब तक 91,000 से अधिक उचित दर दुकानों का स्वचालन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। सरकार का उद्देश्य 5.35 लाख उचित दर दुकानों में से मार्च, 2017 तक 3 लाख उचित दर दुकानों में स्वचालन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

जहां तक वित्तीय सहायता का संबंध है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने सामान्य श्रेणी के 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु 87 रूपए प्रति क्विंटल की दर से और विशेष श्रेणी के 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु 160 रूपए प्रति क्विंटल की दर से एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए मानदंड अनुमोदित किए हैं, जिनमें उचित दर दुकान पर स्वाचलन हेतु पीओएस उपकरण की खरीद एवं प्रचालन हेतु किए गए व्यय के लिए 17 रूपए प्रति क्विंटल की प्रतिपूर्ति भी शामिल है। ऐसा व्यय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75:25 आधार पर और सामान्य श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 50:50 आधार पर वहन किया जाएगा।

(ग) यह विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपने लाभभोगियों के डाटाबेस का डिजिटीकरण पूरा करने और इसे उपलब्ध ''आधार'' नम्बरों से जोड़ने के लिए समय-समय पर अनुरोध कर रहा है। परन्तु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी लाभभोगी को, यदि वह पात्र है, ''आधार'' नम्बर न होने के कारण टीपीडीएस/एनएफएसए के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल 45% राशन कार्डों को ''आधार'' नम्बरों के साथ जोड़ा जा चुका है।

''खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण नियम, 2015'', जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिनांक 21.8.2015 को अधिसूचित किया गया था, के अनुसार पात्र परिवारों को खुले बाजार से खाद्यान्नों की खरीद हेतु समर्थ बनाने के लिए उनके बैंक खाते में खाद्य राजसहायता नकद प्रदान करने संबंधी स्कीम पहचान किए गए क्षेत्रों में शुरू की जा सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की लिखित सहमति आवश्यक है। संघ राज्य क्षेत्रों की सहमति से इस स्कीम का कार्यान्वयन पाइलट आधार पर चंडीगढ़ और पुदुचेरी में दिनांक 1.9.2015 से शुरू किया गया है और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में इसकी शुरूआत दिनांक 1.3.2016 से आंशिक रूप से की गई है।

(घ) ऐसी कोई सूचना केंदीय स्तर पर नहीं रखी जाती है, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन केंद्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संयुक्त दायित्व के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें एनएफएसए/टीपीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभभोगियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के कार्यकरण की निगरानी के पर्यवेक्षण का प्रचालनात्मक दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का होता है। जब कभी केंद्र सरकार को व्यक्तियों/संगठनों और प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे जांच और समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को भिजवा दिया जाता है।

Installing ePoS devices at FPSs

†*151. SHRI HARIVANSH: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) by when electronic Point of Sale (ePoS) devices will be installed at all Fair Price Shops (FPSs) in the country;

(b) whether Central Government is extending any financial assistance to State Governments for installing this device;

(c) whether there is any scheme to connect all ration cards with Aadhaar and by when Direct Benefit Transfer scheme will be introduced therein; and

(d) the amount getting wasted annually in PDS due to corruption?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Based on States/UTs' reports, till now more than 91,000 Fair Price Shops (FPSs) have been reported to be automated. Government aims to provide automation facilities in 3 lakh FPSs by March, 2017 out of total 5.35 lakh FPSs.

As regards financial assistance, under NFSA Government has approved norms for FPS dealers' margins @ ₹ 87/qtl. for 23 general category States/UTs and @ ₹ 160/qtl. for 13 special category States/UTs, which also includes reimbursement of ₹ 17/qtl. for their expenditure towards purchase, operations and maintenance of Point of Sale (PoS) device at the FPS for automation. Such expenditure would be shared between Centre and State Governments on 75:25 basis for special category States/ UTs and on 50:50 basis for General category States/UTs.

(c) Department from time to time has been requesting all the States/UTs to complete the digitization of their beneficiary database and also to seed available Aadhaar numbers therein. However, States/UTs have to ensure that no beneficiary should be denied benefits under NFSA/TPDS for not getting the Aadhaar number, if entitled. At present, Aadhaar seeding at National level stands at 45% in the ration cards as per the reports received from States/UTs.

As per the 'Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015', which was notified on 21-08-2015 under the National Food Security Act, 2013, scheme of providing

† Original notice of the question was received in Hindi.

food subsidy in cash into the bank account of entitled households to enable them to purchase foodgrains from open market, can be taken up in the identified areas for which there is a written consent of the State Government/UT Administration. With the consent of UTs, the scheme has been implemented on pilot basis in Chandigarh and Puducherry *w.e.f.* 01.09.2015 and it has been partially launched in Dadra and Nagar Haveli UT from 01.03.2016.

(d) No such information is maintained at the Central level as the Targeted Public Distribution System (TPDS) is operated under the joint responsibilities of the Central and State/UT Governments wherein operational responsibilities of identification of eligible beneficiaries under NFSA/TPDS and issuance of ration cards to them and supervision over monitoring of functioning of Fair Price Shops rest with the concerned State/UT Governments. As and when any complaints are received by the Central Government from individuals/Rganizations as well as through press reports etc., they are sent to concerned State/UT Government for inquiry and appropriate action thereof.

श्री हरिवंशः सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि Electronic Point of Sale यानी ePoS डिवाइस की विश्वसनीयता और प्रामणिकता कैसी है? यह डिवाइस परचेज़र का बॉयमेट्रिक कैप्चर करेगी और आधार डाटा बेस से बैरिफाई करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इसे लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे कहां परखा गया, इस परीक्षण का रिजल्ट क्या था और इसके वेरिएशन्स क्या थे? इस डिवाइस की निर्माता कंपनी कौन-सी है?

श्री रामविलास पासवानः सभापति जी, यह क्वेश्चन तीन पार्टस में है। पहला पार्ट तो प्वाइंट ऑफ सेल का है। इलेक्ट्रॉनिक point of sale के संबंध में माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है, उस संबंध में हमने बता दिया है कि इस देश में टोटल दुकानों की जो संख्या है, जो फ़ेयर प्राइस शॉप्स हैं, वे 5,35,000 हैं। जो Electronic Point of Sale डिवाइस है, वह मार्च, 2016 तक 91,000 की संख्या तक पहुंची हुई है। हम चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट है, वह एक साल के अंदर 3 लाख दुकानों का है। Electronic Point of Sale का मतलब होता है कि एक ही दुकान पर जाइए, अंगूठे का निशान लगाइए, बटन दबाइए, आपका सारा का सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। हम इसको मार्च, 2019 तक 5,35,000 की संख्या तक करेंगे, क्योंकि सभी जगहों पर हमारा टारगेट है, हो सकता है कि जो हिली एरियाज़ हैं, या दूसरी जगहें हैं, जहां बिजली नहीं है, कुछ साधन नहीं हैं, वहां ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि मार्च, 2019 तक इसको सभी जगह करवा दें।

माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, अभी आपका यही प्रश्न है, आपने अभी राशि के संबंध में प्रश्न नहीं पूछा है, आपने सिर्फ Electronic Point of Sale के संबंध में प्रश्न पूछा है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप एक वक्त में एक प्रश्न का जवाब दीजिए। हरिवंश जी, आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री हरिवंशः माननीय सभापति जी, मेरे लिखित सवालों का मंत्री जी ने उत्तर दिया है। ये जिस इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल इंस्ट्रूमेंट को सारी दुकानों में इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, मैंने अभी उसी के बारे में पूछा था। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि खबरों के अनुसार आंध्र प्रदेश में 28,000 पीडीएस दुकानों पर Electronic Point of Sale लगाए गए हैं। इससे 800 करोड़ रूपये सालाना बचत की उम्मीद है। इस तरह देश के स्तर पर यह डिवाइस लगने से क्या लीकेज़ेज़ में बचत की उम्मीद है? क्या मंत्रालय ने इसका कोई सर्वे कराया है? क्या इस डिवास की टेक्नीकल ट्रेनिंग की भी राज्यों में बड़े पैमाने पर व्यवस्था हुई है? क्या पीडीएस में भी DBT (Direct Benefit Transfer) स्कीम लागू करने की कोई योजना सरकार के पास है?

श्री रामविलास पासवानः सभापति जी, इनका जो लास्ट प्वाइंट है, मैं पहले उसका जवाब दूंगा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है या जो सिस्टम है, उसके तहत हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको तीन जगहों पर शुरू किया है। एक तो पुदुच्चेरी में किया है, दूसरा चंडीगढ़ में और तीसरा दादरा एवं नगर हवेली में किया है। हमने दादरा एवं नगर हवेली में इसको सिर्फ town area में किया है। चूंकि ऐसा है कि जब तक इसके परफेक्टली 100 परसेंट रिजल्ट नहीं आते, तब तक यदि जरा सी भी लीकेज़ होगी, तो उससे गरीब व्यक्ति परेशान हो जाएगा।

एक तो यह बात है। आपका दूसरा प्रश्न क्या था?

श्री हरिवंशः माननीय मी जी, मैंने यह सवाल किया था कि Electronic Point of Sale device के बारे में सूचना है कि आंध्र प्रदेश में 28..

श्री रामविलास पासवानः ठीक है।

जहां तक बचत का सवाल है, इसमें बचत ही बचत है। Food Security Act 2013 में लागू हुआ था और यह कहा गया था कि यह एक साल के अन्दर 5 जुलाई तक सभी राज्यों में लागू हो जाएगा, लेकिन अभी यह सभी राज्यों में लागू नहीं हुआ है। जब हम यहां आए थे, तो यह 11 राज्यों में लागू था, लेकिन अभी तक यह 30 राज्यों में लागू हो गया है। अभी तक हमने ePoS का पूरा इस्तेमील भी नहीं किया है। जहां तक राशन कार्ड के आधार लिंक की बात है, वैसे तो सभी जगह राशन काडर्स का डिजिटीकरण हो गया है, लेकिन इसमें जो आधार कार्ड से लिंक करने का मामला है, वह केवल 45 परसेंट जगहों पर ही हुआ है। इतना होने पर पिछले डेढ़-दो साल में 3.75 लाख जाली राशन काडर्स या बोगस राशन काडर्स निकले हैं। इससे हजारों करोड़ रूपए की बचत हुई है। जब यह ePoS आधार कार्ड से linked हो जाएगा, तो इसमें हम 100 परसेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99 परसेंट लीकेज खत्म हो जाएगी और इससे करप्शन दूर हो जाएगा।

श्री नारायण लाल पंचारियाः सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि "खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण नियम, 2015, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत दिनांक 21.8.2015 को अधिसूचित किया गया था, के अनुसार पात्र परिवारों को खुले बाजार से खाद्यान्न की खरीद हेतु समर्थ बनाने के लिए उनके बैंक खाते में खाद्य राजसहायता नकद प्रदान करने संबंधी स्कीम की पहचान की ली गई है।" इसमें आगे लिखा है कि "इसके लिए राज्य सरकारों की लिखित सहमति आवश्यक है।"

श्री सभापतिः आाप प्रश्न पूछिए।

श्री नारायण लाल पंचारियाः सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अभी जैसे भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम विभाग में गैस पर जो सहायता दी जा रही थी, उसको उसने सीधे लागू करके देश भर में उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचाया था, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ठीक इसी प्रकार खाद्य सहायता भी सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कोई नियम ला रही है? नंबर 2,...

श्री सभापतिः आप एक सवाल पूछिए।

श्री नारायण लाल पंचारियाः यदि नहीं, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने राज्यों ने अभी तक सहायता के लिए अपनी सहमति इसमें दे दी है?

श्री रामविलास पासवानः सर, मैंने इसका पहले ही जवाब दे दिया था कि अभी तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने तीन छोटे-छोटे राज्यों में इसकी शुरूआत की है, जिसमें दादरा नगर हवेली भी है। हम इसको देहाती इलाकों में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शहरों में कर रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, हम बताना चाहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण end to end computerization है। यदि आदि से अंत तक computerization हो जाए, सारा का सारा website पर आ जाए, सारी चीज, जो हम जानना चाहें कि अनाज किस राज्य में जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, जिले में कहां जा रहा है, जिले में Fair Price Shop पर कहां जा रहा है, ट्रक से जा रहा है या कैसे जा रहा है, माननीय सदस्य का 'घ' में जो प्रश्न था कि उससे कितनी हानि होती है, यह सारा का सारा मैं समझता हूं कि ठीक हो जाएगा। उसके लिए 2012 में जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें 884 करोड़ रूपए अनुमोदित किए गए थे। उसमें जो साझेदारी थी, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां 90 परसेंट भारत सरकार का और 10 परसेंट राज्य सरकार का हिस्सा था। जो बाकी राज्य हैं, वहां 50-50 परसेंट की साझेदारी है। उसके मुताबिक 489 करोड़ रूपए भारत सरकार के हिस्से में आते हैं और 394 करोड़ रूपए राज्य सरकार के हिस्से में आते हैं। यदि आप इसमें खर्च के बारे में जानना चाहेंगे, तो अभी तक 315 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं। हमारे पास इसकी राज्यवार सूची भी है। अगर आप कहेंगे, तो हम पढ़ कर सुना देंगे, अगर नहीं कहेंगे, तो सभा पटल पर रख देंगे।

श्री सभापतिः आप उनको इसके बारे में बता दीजिएगा। श्री अली अनवर अंसारी।

श्री अली अनवर अंसारीः माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जिस मशीन के बारे में बताया है, हालांकि प्रश्न में यह पूछा गया है कि किन-किन राज्यों में कितनी मशीनें लगी हैं, लेकिन उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। उत्तर में ये बता रहे हैं कि 2017 तक 3 लाख मशीनें लग जाएंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 3 लाख मशीनें लग जाने के बाद भी 2.5 लाख से ज्यादा संख्या बच जाती है, वहां आप कब तक इन मशीनों को लगाने का काम पूरा करेंगे?

कृपा करके यह भी बता दें कि एक मशीन की कीमत कितनी है? राज्यों को आप इसमें जो सहायता देते हैं, वह कितनी देते हैं?

श्री रामविलास पासवानः हमने पहले ही बता दिया है कि हमारा 2017 तक 3 लाख मशीनें लगवाने का टारगेट है और अभी तक 91,000 मशीनें लगवाई जा चुकी हैं। 2019 तक पूरी की पूरी 5.35 लाख दुकानों में मशीनें लगवाने का काम पूरा हो जाएगा।

फिर आपने इसकी कीमत के बारे में पूछा है, इसकी कीमत 20,000 रूपये है, हालांकि इसकी कीमत 20,000 रूपये से लेकर 30,000 रूपये होती है, वैसे इसकी कीमत 20,000 रूपये ही है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ePoS का जो सिस्टम हमने बनाया है, उसमें तीन तरह की बातें हैं। एक तो यह है कि यदि राज्य चाहे, तो राज्य सरकार ePoS की खरीद करके, स्वयं उसे फेयर प्राइस डीलर को दे सकती है। दूसरा यह है कि जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं, वे अपने आप सिस्टम खरीद कर उसे लगवा सकते हैं। तीसरा यह है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो सारा का सारा काम, टेंडर के आधार पर प्राइवेट वालों को दे सकती हैं और चौथा यह है कि यदि राज्य सरकार चाहे, तो मशीन को खरीद कर उसे प्राइवेट संचालन के लिए दे सकती है। इतना ही नहीं, हमने एक काम और भी किया है, जो डीलर का मार्जिन होता है, उस मार्जिन को हमने 87 रूपये कर दिया है। 87 रूपये में से 70 रूपये डीलर का मार्जिन है और 17 रूपये ePoS लगाने के लिए हैं। जैसा हमने आपको बताया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में 50:50 का बंटवारा है और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए 90:10 का बंटवारा है।

श्री अविनाश पांडेः महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आज देश में कितनी functional Fair Price Shops हैं और कितने राज्यों में Aadhaar enabled Smart Cards का वितरण हो चुका है।

श्री रामविलास पासवानः सर, जैसा हमने बताया, हमारे पास टोटल 5.35 लाख Fair Price Shops हैं और सारी की सारी कार्यरत हैं। अभी तक 91,000 Shops आधार कार्ड के द्वारा लिंक हो चुकी हैं। हमने उसमें यह भी बताया है कि 2019 तक हम इस कार्य को पूरा कर लेंगे। यदि आप इसका राज्यवार ब्यौरा चाहेंगे, तो वह भी हम आपको भिजवा देंगे।

[The questioner (SHRI RAJIV CHANDRASEKHAR) was absent.]

Legislative sanction for Aadhaar

*152. SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Aadhaar programme is world's single largest biometric database and is operational without legislative sanction and, therefore, without legislative safeguards for individual data privacy and protection;

(b) if so, whether Government intends to review and re-introduce the UIDAI Bill in Parliament to ensure that the programme is subject to adequate Parliamentary scrutiny with legislative sanction; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?